लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शि.क./संवि./सी/156/2013/1618 भोपाल, दिनांक 31/7/13

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–49/2008/20–1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्पारिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम–2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम–5 तथा तालिका के कालम–6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण–पत्रों का जावक क्रमांक एंव दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती रेशू मालवीय सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. पनागर जिला नरसिंहपुर	BQ6788	23400200101	जनपद पंचायत चिचली जिला नरसिंहपुर जा.क्र.1250दि. 15.04.13	नगर परिषद मूंदी जिला खण्डवा जा.क्र. 23 दि. 26.03.13 शा.क.प्रा.शा. मूंदी	23290915101
2	श्रीमती निशा तिवारी सहायक अध्यापक शा.मा.शा. घंसौर जिला सिवनी	AZ2386	23440713011	जनपद पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क्र. 20 दि. 02.04.13	नगरपालिक निगम सतना जिला सतना जा.क्र.100 दि. 15.05.13 शा.प्रा.शा. बिरला	23130721902
3	श्रीमती सुनीता त्रिपाठी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बंधौरा जिला सिंगरौली			जनपद पंचायत बैढ़न जिला सिंगरौली जा.क्र.1274दि. 18.04.13	नगरपालिक निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र.2446दि. 05.07.13 शा.क.प्रा.शा. निपनिया	23140110302
4	श्रीमती प्रतिभा गंगेले अध्यापक (कला) शा.हाईस्कूल पवईया जिला सतना	BT3161	23130466606	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र. 994दि. 29.06.13	नगरपालिका परिषद पन्ना जिला पन्ना जा.क्र.1347दि. 05.07.13 शा.मनहर क.उ.मा.वि. पन्ना	23100377703
5	श्रीमती अंजना कापसे अध्यापक (विज्ञान) शा.पूर्व मा.शा. देवगांव जिला सीधी	BO8504	23170704802	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र.5060दि. 05.07.13	नगरपालिका परिषद चौरई जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.212 दि. 27.06.13 शा.क.उ.मा.वि. चौरई	23431177701
6	श्रीमती प्रीति चौरसिया सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बरहा टोला सुड्डी जिला कटनी	BS6638	23380307504	जनपद पंचायत बड़वारा जिला कटनी जा.क्र.707 दि. 06.05.13	नगर परिषद पवई जिला पन्ना जा.क्र.288 दि. 05.07.13 शा.क.प्रा.शा. पवई	23100400903

7	श्रीमती सोनल गढ़वाल (गौतम) अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. परासिया जिला छिंदवाड़ा			नगरपालिका परिषद डोंगर जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.270 दि. 02.07.11	नगर परिषद लखनादौन जिला सिवनी जा.क्र.319 दि. 18.02.13 शा.उत्कृष्ठ मा.वि. लखनादौना	23440115902
8	श्रीमती विमला सराठे सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सहावन टोला जिला नरसिंहपुर	BQ6782	23400200203	जनपद पंचायत बाबई जिला नरसिंहपुर जा.क्र.1247दि. 15.04.13	नगर परिषद सोहागपुर जिला होशंगाबाद जा.क्र.527 दि. 01.03.13 शा.प्रा.शा. मातापुरा	23370507301
9	श्रीमती मनोरमा गर्ग अध्यापक शा.पूर्व.मा.वि. रामपुर चंदिया जिला उमरिया	BE8299	23150712607	जिला पंचायत उमरिया जिला उमरिया जा.क्र.12194दि.06.02.13	नगरपालिका निगम कटनी जिला कटनी जा.क्र.351 दि. 10.07.13 शा.मा.वि. सी.एल.पी. कटनी	23380215501
10	श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा.पोड़ीकला बी जिला कटनी			जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा जिला कटनी जा.क्र.244 दि. 11.05.13	नगरपालिक परिषद सिहोरा जिला जबलपुर जा.क्र.906 दि. 27.06.13 शा.प्रा.शा. पहरेवा	23390715401
11	श्रीमती रागिनी चौरसिया अध्यापक (विज्ञान) शा.हाईस्कूल बेरमा (मैहर) जिला सतना	--	--	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.994 दि. 29.06.13	नगरपालिका परिषद सिहोरा जिला जबलपुर जा.क्र.941 दि. 02.07.13 शा.यशोदा बाई अग्रवाल क.उ.मा.वि. खितौला बाजार सिहोरा	23390777704
12	श्रीमती अंजना शर्मा सहायक अध्यापक शा.सेटेलाईट प्रा.शा. बिजौरा जिला कटनी	BT4917	23380626202	जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा जिला कटनी जा.क्र.282 दि. 25.05.13	नगरपालिका परिषद दमोह जिला दमोह जा.क्र.115 दि. 08.07.13 शा.प्रा.शा. पाठक कालोनी	23120105001
13	श्रीमती ऊषा कुशवाह सहायक अध्यापक शा.मा.शा. लौलाछ जिला सतना	AW2935	23130702501	जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान जिला सतना जा.क्र.376 दि. 07.05.13	नगर परिषद सिरमौर जिला रीवा जा.क्र.303 दि. 15.02.13 शा.प्रा.शा. कोलहा	23140702502
14	श्रीमती अंकिता मिश्रा सहायक अध्यापक शा.मा.शा. ररा जिला सतना	BR5710	23130412301	जनपद पंचायत नागौद जिला सतना जा.क्र.273 दि. 19.02.13	नगरपालिका परिषद पन्ना जिला पन्ना जा.क्र.1402दि. 11.07.13 शा.आर्दश मा.शा. बड़ा बाजार	23100322601
15	श्रीमती संगीता गौतम सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. कठौतहा जिला सीधी	BQ9345	23140117101	जनपद पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 921दि. 02.03.13	नगरपालिक निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र.723 दि. 02.03.13 शा.प्रा.शा. रतहरी	23170605501
16	कुमारी नीतू नामदेव अध्यापक (विज्ञान) शा.हाईस्कूल रिधोरा जिला बैतूल	BQ9161	23350866605	जिला पंचायत बैतूल जिला बैतूल जा.क्र.2713दि. 28.05.13	नगरपालिक परिषद छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.1134दि. 26.06.13 शा.बा.उ.मा.वि. जवाहर छिंदवाड़ा	23430177709

संविलियन की शर्तें :–

1. यह अनुमति तालिका के कालम–6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेगें।
4. तालिका के कालम–6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम–5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम–6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम–5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
12. जिला शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्य इस बात को सुनिश्चित करेगें कि संबंधित अध्यापक की शाला एक शिक्षकीय होने की स्थिति में संबंधित अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जावें।

" आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

31/07/13

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र./शि.क./संवि./सी/156/2013/1619 — भोपाल, दिनांक 31/7/13

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हे कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हे कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।

8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

31/07/13

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश